राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
Email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-22270

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः एफ 61(380)SSAAT /Estt./2024-10845/6880 जयपुर दिनांक 19/11/2024

आदेश

श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह, 226 खेडा गांव, औण्ड मीणा तहसील महवा, जिला दौसा–322240 को NIRD&PR हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (दिनांक 11.09.2023 से 10.10.2023 तक) सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने एवं दिनांक 10.10.2023 को अनुबन्ध पर हस्ताक्षर उपरांत सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक 6280 दिनांक 05.12.2023 द्वारा जिला संसाधन व्यक्ति के पद पर करौली जिले में एक वर्ष की अवधि के लिये संविदा पर नियत पारिश्रमिक के आधार पर सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह के विरूद्ध श्री लेखराज मीणा, बी.आर.पी. द्वारा आडियो युक्त शिकायत सोसायटी को प्राप्त हाने पर उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के निवारण हेतु दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण मय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

श्री चन्द्रभान सिंह द्वारा उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में भ्रष्टाचार में संबंधित प्राप्त ऑडियों रिकॉर्डिग को झुठलाया नही गया है।

श्री लेखराज मीणा, बीआरपी द्वारा प्रस्तुत ऑडियो क्लिप को सुनने से स्पष्ट होता है कि श्री चन्द्रभान सिंह जिला संसाधन व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहे है। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य के रूप के संलग्न किये गये बीआरपी के पत्रों में श्री शेरू प्रजापत, बीआरपी रजि. सं. 43893, ब्लॉक–मासलपुरा, जिला करौली का पत्र भी संलग्न किया गया है जिसमें रिश्वत लेने/देने को तथ्य हीन बताया गया है। जबकि ऑडियो क्लिप में स्वयं श्री चन्दभान सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि शेरू प्रजापत उन्हे रिश्वत देता है। श्री चन्द्रभान सिंह के इस ऑडियों अनुसार अन्य बीआरपी भी भ्रष्टाचार के इस प्रकार के कार्य में लिप्त है।

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.19 16:52:12 IST
Reason: Approved

श्री चन्द्रभान सिंह, के साथ किये गये अनुबंध दिनांक 10.10.2023 के बिन्दु संख्या 2 – कार्य की सामान्य शर्तो के बिन्दु संख्या 2 (डी) के प्रावधानुसार ''प्रथम पक्ष द्वारा बीच में सेवा समाप्ति या अनुबंध की पालना नही करने या कार्य सन्तोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।''

अतः श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह 226 खेड़ा गांव, औण्ड मीणा तहसील महवा, जिला दौसा–322240 को भ्रष्टाचार में लिप्त मानते हुए सोसायटी के साथ हुए अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 2 (डी) के अनुसरण में श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह के साथ हुए अनुबंध को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए सोसायटी (SSAAT) की सेवाओं से मुक्त किया जाता है।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(380)SSAAT/Estt./2024-10845/6881-87 जयपुर दिनांक 19/11/2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, करौली।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली।
3. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद, करौली।
4. श्री नरेन्द्र कुमार जोशी राज्य संसाधन व्यक्ति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर।
5. श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह, 226 खेडा गांव, औण्ड मीणा तहसील महवा, जिला दौसा–322240
6. स्थापना शाखा / बिल शाखा (SSAAT) जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (SSAAT)

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.19 16:52:12 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\11853871_7534894038046051042.docx